रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2015/ज्येष्ठ 29, 1937
No. 164] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2015/JYAISTHA 29, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2015

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : कोरिया आर.पी. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेडों एवं सभी सांद्रणों के फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

सं. 15/7/2014-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. उपर्युक्त अधिनियम एवं नियम को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने कोरिया आरपी (जिन्हें एतद्पश्चात को कोरिया आरपी या संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों के फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पादक भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ की थी और दिनांक 11 नवम्बर, 2009 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/07/2007-डीजीएडी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी। केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 140/2009-सीमाशुल्क के तहत निर्णाय पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण किया था।

3. और यत:, एल्कलाईज एंड कैमिकल्स लिमिटेड तथा पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड, जो भारत में इस संबद्ध वस्तु के प्रमुख विनिर्माता है, ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु **के** आयातों पर दिनांक 15.12.2009 की वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 140/2009-सीमाशुल्क के तहत इससे पूर्व अधिरोपित निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने और पाटनरोधी शुल्क की इस आधार पर निरंतरता बनाए रखने का कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है का अनुरोध करते हुए एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है।

4. इस बात से संतुष्ट होते हुए कि याचिकाकर्ता मैसर्स **गुजरात** अल्कलाइज एंड कैमिकल्स लिमिटेड तथा पंजाब कैमिकल्स क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड ने इस समीक्षा की जरूरत के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्यांकन प्रस्तुत किया है निर्दिष्ट ने दिनांक 20 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/07/2014-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करना उचित समझते हैं। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 32/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत दिनांक 21 जून, 2015 तक बढ़ा दी गई।

ख. सामान्य प्रक्रिया

5. इस जांच से संबंधित निम्निलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

(क) इस जांच की शुरूआत के बारे में नियमानुसार संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास को सूचित किया गया।

(ख) प्राधिकारी ने इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हुए दिनांक 20 जून, 2014 को एक अधिसूचना संख्या 15/07/2014-डीजीएडी जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित कराया गया।

(ग) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और/या निर्यातकों को अग्रेषित की और उन्हें नियमानुसार इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अंदर संगत सूचना प्रदान करने और अपने विचार लिखित रूप में प्रदान करने का अवसर दिया।

(घ) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में इस संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों और/या उपभोक्ताओं को प्रेषित की और उन्हें संगत सूचना प्रदान करने तथा नियमानुसार इस पत्र के जारी होने की तारीख चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवनत कराने का सुझाव दिया।

(ङ) प्राधिकारी ने इस आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रतियां नियमानुसार ज्ञात उत्पादकों और/या निर्यातकों को तथा भारत के संबद्ध देश के राजदूतावास के उपलब्ध कराई। आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रतियां, अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

(च) प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए नियमानुसार वहां के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों सहित संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली प्रेषित की। तथापि, संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया।

(छ) नियमानुसार संगत सूचना प्रदान कराने के लिए यह प्रश्नावली ज्ञात आयातकों अथवा उपयोक्ताओं को भी प्रेषित की गई। प्राधिकारी ने इस विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक उपयोक्ताओं को पाटन, क्षति एवं कारणात्मकता के संबंध में इस जांच से संगत समझी जाने वाली सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। किसी भी आयातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया। एक आयातक संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण है।

(ज) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक 11 मार्च, 2014 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया। इस सार्वजनिक सुनवाई में केवल

घरेलू उद्योग ने भाग लिया और मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण किया। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से प्राप्त इन लिखित प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया है।

(झ) जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और प्रदान कराई गई सूचना/साक्ष्यों पर वर्तमान जांच में संगत पाई गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।

(ञ) प्राधिकारी ने जांच की कार्रवाई के दौरान प्रदान कराई गई सूचना की यथार्थता से स्वयं को संतुष्ट किया। प्राधिकारी ने संगत एवं आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग के परिसर का स्थल सत्यापन किया। घरेलू उद्योग से क्षति के संबंध में अतिरिक्त/अनुपूरक विवरण भी मांगे गए, वह विवरण भी प्राप्त हो गए।

(ट) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित एक सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया और उसे नियम 6(7) के अनुरूप हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए उसे खुला रखा गया।

(ठ) भारत में संबद्ध वस्तु की अनुकूलतम उत्पादन लागत और उसको बनाने तथा बिक्री करने की लागत का भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर निर्धारण करने के लिए लागत जांच का आयोजन किया गया जिससे कि यह सुनिश्चयन हो सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(ड) यह जांच अप्रैल, 2013 से प्रारंभ करके मार्च, 2014 (12 माह) तक के लिए आयोजित की गई और उसका उल्लेख जांच की अवधि अथवा पीओआई के रूप में भी किया गया है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2010-11, 2011-12 2012-13 एवं जांच की अवधि को भी शामिल किया गया है।

(ढ) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना तक पहुंच की मनाही की है या वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या जांच में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न किया है वहां प्राधिकारी अपने जांच परिणाम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड करेंगे।

(ण) हितपक्ष पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका प्रकटन नहीं किया गया।

(त) इस जांच के उन अनिवार्य तथ्यों मुक्त, जो अंतिम जांच परिणाम का आधार है, एक प्रकटन विवरण दिनांक 12.06.2015 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया। प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में आवश्यक समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।

(थ) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है।

(द) प्राधिकारी ने इस जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 यूएस डालर = 60.85/- रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा एवं समान वस्तु

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कोरिया आरपी के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "संभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों का फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक को छोड़कर)" है।

7. फास्फोरिक एसिड एक स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन, वाष्पहीन, बल्कि विस्कोस, द्रव सीरप होता है, जिसका सामान्यत: प्रत्येक जलीय घोल के रूप में किया जाता है, 85 प्रतिशत घोल, जब उसे तनुकृत किया जाता है वह संक्षारक, यद्यपि गैर-टाक्सिक हो सकता है। फास्फोरिक एसिड का प्रयोग सोडियम फास्फेट, कैल्सियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट,

फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों, पेय पदार्थों, बीज प्रसंस्करण, सुगर जूस, सुगर परिष्करण, खाद्य फास्फेट विनिर्माण के लिए किया जाता है। फास्फोरिक एसिड एक अकार्बनिक रसायन होता है जिसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु प्रणाली के आधार पर) के उप-शीर्षक संख्या 2809.20 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना के तहत मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में यह नोट किया कि

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) है।"

9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक आयातक संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने तर्क दिया है कि :

(i) घरेलू उद्योग की पैकिंग मुख्यत: 50 किलोग्राम एचएम-एचडीपीई कारब्यायज में होती है जबकि, अब कोरिया मुख्यत: 330 किलोग्राम के नेट ड्रम में निर्यात करता है। पैकिंग के अनुसार कीमत में अंतर आ जाता है। 330 किलोग्राम की पैकिंग सस्ती है जबकि 50 किलोग्राम की पैकिंग महंगी है।

(ii) घरेलू उद्योग और कोरिया के बीच तुलना करने पर पी 205, आयरन (एफई), क्लोराइड (सीएल), फ्लोराइड (एफ), सीए, एमजी, भारी धातु पीबी (लेड) आर्सेनिक (एस), एसिटिक एसिड (सीएच3सीओओएच) के संबंध में गुणवत्ता में अंतर होता है।

(iii) घरेलू उद्योग न्यूनतम 85 प्रतिशत शुद्धता के सांद्रण/एक्वस घोल का ही विनिर्माण करता है। कोरिया से 75 प्रतिशत शुद्धता के सांद्रण/एक्वस घोल के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क होना चाहिए, जितना कम शुद्धता सांद्रण/जलीय घोल हो उतनी ही कम कीमत हो और इसके विपरीत हो।

(iv) घरेलू उद्योग केवल तकनीकी ग्रेड का ही विनिर्माण करता है। कोरिया से खाद्य ग्रेड के आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क न हो। खाद्य ग्रेड महंगा है और तकनीकी ग्रेड सस्ता है।

(v) पुनर्चक्रित फास्फोरिक एसिड निकृष्ट एवं सस्ता होता है। पुनर्चक्रित फास्फोरिक एसिड पर पाटनरोधी शुल्क नहीं होना चाहिए।

10. विचाराधीन उत्पाद कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का है।"

11. जहां तक पैकिंग लागत में अंतर के दावे का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह प्रस्तुतिकरण साक्ष्यांकित नहीं है और अभिकथित अंतर को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

12. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु की तुलना में आयातित वस्तु की गुणवत्ता में अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दावे को साक्ष्यांकित नहीं किया गया और इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार का तो यह दावा भी नहीं है कि गुणवत्ता में अंतर होने से इस उत्पाद का प्रतिस्थापन नहीं होगा।

13. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग 85 प्रतिशत विशुद्धता का ही विनिर्माण करता है और इसलिए 75 प्रतिशत विशुद्धता युक्त संबद्ध वस्तु के आयातों का अपवर्जन कर देना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा निराधार और गलत है। सौदावार आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुल 2960 एमटी में से केवल 21.75 एमटी के लिए 85 प्रतिशत विशुद्धता के फास्फोरिक एसिड के संबंध में चुप्पी है जबकि शेष सौदों को 85 प्रतिशत का बताया गया है।

14. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग केवल तकनीकी ग्रेड का ही विनिर्माण करता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड, जिसने अभिव्यक्त रूप से इस जांच का समर्थन किया है, खाद्य ग्रेड का उत्पादन करता है। इस प्रकार भारतीय उद्योग खाद्य ग्रेड का उत्पादन करता है और इसलिए खाद्य ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है।

15. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पुनर्चक्रित फास्फोरिक एसिड पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगना चाहिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई तर्क या साक्ष्य नहीं दिया गया है।

16. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था अर्थात विचाराधीन उत्पाद सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड है, जिसमें कृषि एवं उर्वरक ग्रेड अपवर्जित है।

घ. घरेलू उद्योग एवं आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

17. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया गया है :

(i) वर्तमान याचिका गुजरात अल्कलाईज एंड कैमिकल्स लिमिटेड और पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोडेक्शन लिमिटेड, जो भारत में इस विचाराधीन के लिए घरेलू उद्योग हैं, द्वारा दायर की गई है।

(ii) एक अन्य भारतीय उत्पादक आदित्य बिरला ने इस जांच का समर्थन किया है और प्राधिकारी को संपूर्ण सूचना भी उपलब्ध कराई है।

(iii) याचिकाकर्तागण अकेले ही भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा अनुपात" बनते हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग के आधार को पूरा करता है। इस प्रकार यह आवेदनपत्र घरेलू उद्योग द्वारा अथवा घरेलू उद्योग की ओर से दायर की गई है।

आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दायरे एवं आधार के संबंध में कोई भी प्रस्तुतिकरण नहीं किया है :

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. इस जांच के प्रारंभ के समय, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

> "(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण और उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो अथवा उसके स्वयं आयातक हों तो ऐसे मामलों में वाक्यांश "घरेलू उद्योग" को केवल देश उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।"

20. यह आवेदन गुजरात अल्कलाईज एंड कैमिकल्स लिमिटेड और पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। जांच शुरूआत के दौरान इन दो कंपनियों का उत्पादन वर्तमान जांच की अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता था जो की 50.36% ओर 1.40% था। तथापि, जांच शुरूआत के पश्चात, पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड लागत निर्धारण एवं वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत करने में असफल रहा। तथापि, दूसरी ओर, जांच शुरूआत के पश्चात, मैसर्स आदित्य बिरला कैमिकल्स लिमिटेड, इस संबद्ध वस्तु के एक अन्य बड़े उत्पादक (48 प्रतिशत) ने अपने उत्पादन और क्षति एवं गैर-क्षतिकारी कीमत का आकलन से संबंधित सूचना प्रदान कराई है। भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है।

21. चूंकि पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड ने लागत निर्धारण एवं वित्तीय आंकड़ों से संबंधित सूचना प्रदान नहीं कराई है, इसलिए, प्राधिकारी इस कंपनी को घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में नहीं मानते हैं जैसाकि प्राधिकारी द्वारा कुछ अन्य ऐसी ही जांचों में किया गया है। चूंकि आदित्य बिरला कैमिकल्स लिमिटेड ने भी सभी संगत सूचना प्रदान कराई है इसलिए, प्राधिकारी आदित्य बिरला कमिकल्स को भी घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में शामिल करना उपयुक्त समझते हैं।

प्राधिकारी को उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार गुजरात अल्कलाईज एंड कैमिकल्स लिमिटेड तथा आदित्य बिरला कैमिकल्स नियमावली के अभिप्राय: के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनते हैं क्योंकि इन कंपनियों का संयुक्त उत्पादन भाग कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 99 प्रतिशत उत्पादन बनता है।

22. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी ने आवेदकों के आधार का निर्धारण किया है और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि गुजरात अल्कलाईज एंड कैमिकल्स लिमिटेड, पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड तथा आदित्य बिरला कैमिकल्स नियमावली के आशाय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं क्योंकि इन कंपनियों का संयुक्त उत्पाद जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग के विचार

23. पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

(i) कोरिया आरपी एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और इसलिए कोरिया आरपी के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली की धारा 9क (1)(ग) के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) कोरिया आरपी की घरेलू बाजार में इस उत्पाद से संबंधित कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया। कीमत का साक्ष्य प्रकाशित स्रोत से भी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ऐसा कोई प्रकाशन नहीं है जिसमें कोरिया आरपी में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों का प्रावधान किया गया हो।

(iii) उत्पाद कीमतें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इन कीमतों का उत्पादकों और उपभोक्ताओं की बीच संपादित किया जाता है और इसलिए वह सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त मद्देनजर, इसके सामान्य मूल्य की संरचना की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर, इसमें बिक्री सामान्य और प्रशासनिक व्यय जोड़कर किया गया है।

(iv) निर्यात कीमत का निर्धारण द्वितीयक स्रोत द्वारा निर्मुक्त आंकड़ों के अनुरूप जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयातों की मात्रा एवं मूल्य पर विचार करते हुए किया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण संबद्ध देश से प्रति यूनिट भारित आयात कीमत के अनुरूप किया गया है।

(v) निर्यात कीमत का समायोजन उन व्ययों के लिए किया गया है जो भारत में इस माल का निर्यात करने के लिए निर्यातक द्वारा उपगत किया गया है।

(vi) कोरिया आरपी के निर्यातक भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन कर रहे हैं।

आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. एक आयातक संदीप आर्गनिक्स लिमिटेड ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं।

(i) घरेलू उद्योग को चढ़ाई-उतराई खर्च, पैकिंग प्रभार, परिवहन प्रभार, केंद्रीय बिक्री कर, अभिकर्ता की कमीशन, अभिकर्ता का लाभ, भांडागार प्रभार आदि जैसे अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं।

(ii) कोरिया का निर्यातक केंको मार्केटिंग इंक है। शुल्क संरचना में अंतर होता है। घरेलू उद्योग में सीवीडी 12 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत है, जबकि कोरिया में सीवीडी केवल 12 प्रतिशत है। कोरिया से आयातों पर 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क है। फास्फोरिक एसिड पर मूल शुल्क 5 प्रतिशत है। कोरिया-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी करार, अधिमानी उदगम प्रमाणपत्र संयुक्त घोषणा एवं प्रमाणपत्र के अंतर्गत कोरिया से मूल शुल्क 4.69 है।

(iii) कोरिया से आयात कीमत 725-750 यूएस डालर प्रति एमटी सीआईएफ नेवा शेवा है। कोरिया के बुसान पत्तन से निर्यात आंकड़ों पर विचार करना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

25. 9क (1) (ग) किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का आशय–

(i) उपनियम (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा भू-भाग में खपत के उद्देश्य से व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत है; अथवा

(ii) निर्यातक देश या भूभाग की घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में जब उस सामान समान वस्तु की बिक्री न होती हो अथवा निर्यातक देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में विशिष्ट बाजार परिस्थितियों अथवा बिक्री की न्यून मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियां समुचित तुलना करने की अनुमति न देती हों तो उस वस्तु का सामान्य मूल्य या तो-

(क) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा-निर्धारित उस समान वस्तु की वह तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत होगी जिस पर उसका निर्यात किसी निर्यातकर्ता देश या (भू-भाग से) किसी उपयुक्त तृतीय देश को किया जाता है; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री या सामान्य लागत तथा लाभ के लिए किए गए अन्य संवर्धनों सहित उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत होती है;

26. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों को यह सुझाव देते हुए प्रश्नावलियां भेजी कि वे विहित स्वरूप एवं ढंग से सूचना प्रदान कराएं। तथापि, संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके इस जांच में सहयोग नहीं दिया है।

27. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग अतिरिक्त व्यय उपगत कर रहा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यहां तक कि निर्यातक भी अतिरिक्त व्यय कर रहे हैं और किसी भी रूप में तुलना समान स्तर पर ही की जाती है।

28. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कोरिया में अधिमानी शुल्क है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क पर रियायत देशों द्वारा किए गए अनुचित व्यापार को न्यायोचित नहीं ठहराता है। रियायती शुल्कों का पाटन मार्जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

29. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कोरिया से आयात कीमत 725-750 यूएस डालर पीएमटी, सीआईएफ है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए औसत आयात कीमत 793.68 यूएस डालर/एमटी निकलती है। अत: हितबद्ध पक्षकार का दावा अधिक पाटन और घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति दर्शाता है।

30. संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग न मिलने की स्थिति में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 6.8 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है।

31. तदनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया है :

कोरिया आरपी के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

32. विधि के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार प्राधिकारी को कोरिया आरपी में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोरिया आरपी की घरेलू बाजार में आशयित उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित है। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि कोरिया आरपी की घरेलू बाजार में व्याप्त वास्तविक सामान्य मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। कोरिया के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरियाई उत्पादकों से विहित स्वरूप एवं ढंग से किसी प्रत्युत्तर के अभाव में कोरिया आरपी के उत्पादकों के प्रश्नावली

प्रत्युत्तर के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की संरचना सर्वाधिक कार्यकुशल घरेलू उत्पादक की उत्पादन लागत, प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ शामिल है, पर विचार करते हुए की है। आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कोरिया आरपी से फास्फोरिक एसिड (खाद्य एवं तकनीकी ग्रेड) की आयात खेंप केवल 20 किलोग्राम से 215.6 एमटी की रेंज में ही हुई है। चूंकि फास्फोरिक एसिड की इतनी कम मात्रा का आयात खुले रूप में जहाज से करना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान खाद्य एवं तकनीकी ग्रेड के फास्फोरिक एसिड का आयात केवल पैक्ड फार्म में ही हो सकता है। सामान्य मूल्य, अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में यथा इंगित के अनुरूप है।

कोरिया आरपी के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

33. चूंकि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राधिकारी ने कोरिया आरपी से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण नियमानुसार उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर किया है। याचिकाकर्ताओं ने निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों, द्वितीयक स्रोत द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार, के आधारा पर किया है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया कि वह क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का ब्यौरा उपलब्ध कराए। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदावार आंकड़ों को अपनाया है और निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए की है। कोरिया आरपी के निर्यातकों से प्राप्त असहयोग के मद्देनजर कीमत समायोजन याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे के आधार पर किया है। निर्यात कीमत का समायोजन समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाग व्यय बैंक प्रभार के लिए इस विचाराधीन उत्पाद की फैक्टरी बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए किया गया है। निर्यात कीमत का उल्लेख अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

34. आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात प्रस्तावित पाटन मार्जिन का निर्धारण अधोलिखित तालिका में किए गए उल्लेख अनुसार किया गया है :

सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन रेंज
यूएस डालरएमटी/	यूएस डालरएमटी /	यूएस डालरएमटी/	%	%
***	***	***	***	35-45

च. क्षति का आकलन एवं कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग के विचार

35. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) क्षति अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है।

(ii) संबद्ध देशों से आयात में वर्ष 2011-12 में गिरावट आई, वर्ष 2012-13 में इसमें वृद्धि हुई और तत्पश्चात जांच की प्रस्तावित अवधि में इसमें गिरावट आई। तथापि, जांच की अवधि में आयातों में एक बार फिर वृद्धि होने लगी।

(iii) पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन बहुत अधिक है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन किए जाने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी।

(iv) आयातों की उतराई कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत के बीच भी तुलना की गई। यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित जांच की अवधि में आयातों की उतराई कीमत गैर-क्षतिकारी कीमत से बहुत कम है।

(v) घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और उसकी बिक्री लगभग समान स्तर पर बनी रही परंतु इसमें क्षति अवधि में कुछ मामूली सा परिवर्तन हुआ। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा इससे पहले पहुंचाई गई क्षति से निपटने में घरेलू उद्योग को कुछ राहत मिली।

(vi) घरेलू बाजार में मांग एवं आपूर्ति में अंतराल के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं ने अपनी क्षमता में 01 लाख एमटी तक वृद्धि करने का प्रस्ताव किया। तथापि, यदि इस विचाराधीन उत्पाद के पिछले एक दशक के इतिवृत्त पर संचयी आधार पर विचार किया जाता है तो यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग लाभ अर्जित करने में समर्थ नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से क्षति की पुनरावृत्ति होगी। इससे निश्चय ही घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं में विस्तार करने में अक्षम रहेगा।

(vii) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। कोरिया आरपी से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क पर विचार करते हुए कोरिया का बाजार हिस्सा बहुत अधिक है।

(viii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ। क्षति अवधि में नकद लाभ, कर पूर्व लाभ तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग को इजरायल और ताईवान से पाटित आयातों के अंतर्वाह के कारण वर्ष 2010-11 में क्षति सहन करनी पड़ी है। तत्पश्चात, इजरायल, ताईवान और कोरिया आरपी के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग की हालत में सुधार हुआ।

(ix) घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि के दौरान कमी हुई है।

(x) लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में घरेलू उद्योग का विकास हुआ। पाटित आयातों से हो रही क्षति से घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए पाटनरोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन और उसकी बिक्री समान स्तर पर ही बनी रही।

(xi) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से बल्कि यह बहुत अधिक है।

आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

36. संदीप आर्गनिक्स लिमिटेड ने क्षति एवं सांयोगिक संबंध के बारे में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है।

(i) घरेलू उद्योग को लाभ हो रहा है। घरेलू उद्योग की मालसूची और पूंजी उपयोग की जांच करने की जरूरत है।

(ii) घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता केवल 80 टन प्रतिदिन है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

37. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतर्ग्रस्त होगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव, और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव उन कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना या कीमतों में वृद्धि को कम करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

38. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को मौजूदा अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है तो प्राधिकारी यह अवधारण करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

39. पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तु कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव; दोनों की उद्देश्यपरक जांच किए जाने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में निर्बाध रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों का प्रभाव अन्यथा उन कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना है अथवा कीमतों में वृद्धि होने से रोकना है जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती।

40. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की क्षमता केवल 80 एमटी/प्रतिदिन है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता 150 एमटी/प्रतिदिन है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, यह अनुचित व्यापार को रोकता है और समान अवसर प्रदान करता है।

41. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित प्रावधान है :

> "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और अभिसूचकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिसमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन का परिमाण, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव शामिल है।"

42. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उन सभी अभिसूचकों पर पूर्वोक्त नियमावली के अनुलग्नक-II के पैरा (iv) के अनुसार विचार किया है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन क्षमता उपयोग बिक्री प्रमात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन मार्जिन और परिमाण आदि।

मांग का आकलन

43. मांग का निश्चय करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की बिक्री तथा विभिन्न स्रोतों से आयातों पर विचार किया है। भारत में इस उत्पाद की मांग की संगणना भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा विभिन्न देशों से ज्ञात आयातों के योग के रूप में की गई है। इस तरह आकलित मांग अधोलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	34,844	45,057	46,637	48,366
अन्य उत्पादक	एमटी	1,146	625	780	721
संबद्ध देश – आयात	एमटी	8,778	4,545	5,844	2,960
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	24,740	19,018	18,891	16,267
अन्य देश – आयात	एमटी	1,851	3,071	5,507	8,133
कुल मांगखपत/	एमटी	71,359	72,316	77,659	76,446

44. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों की स्पष्ट खपत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

आयात मात्रा का कीमत प्रभाव

45. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों की मात्रा में निर्बाध रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संगत रूप में भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा का विश्लेषण निम्नवत किया गया है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
संबद्ध देश आयात -	एमटी	8,778	4,545	5,844	2,960
अन्य देश	एमटी	26,591	22,090	24,398	24,400
कुल आयात	एमटी	35,368	26,635	30,242	27,359
आयातों में बाजार हिस्सा-:					
संबद्ध देश – आयात	%	24.82	17.06	19.32	10.82
अन्य देश	%	75.18	82.94	80.68	89.18
मांग में बाजार हिस्सा-:					
संबद्ध देश	%	12.30	6.28	7.52	3.87
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	34.67	26.30	24.33	21.28
अन्य देश	%	2.59	4.25	7.09	10.64
घरेलू उद्योग	%	48.83	62.31	60.05	63.27
अन्य उत्पादक	%	1.61	0.86	1.00	0.94
उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	24%	10%	13%	6%
खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	12.30	6.28	7.52	3.87

46. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है। कुल आयातों के साथ-साथ मांग में संबद्ध आयातों के हिस्से से गिरावट आई है। देश में इस उत्पाद के उतपादन और खपत के संदर्भ में भी आयातों में गिरावट आई है।

कीमत प्रभाव

47. कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है अथवा उन कीमतों में वृद्धि होने से रोकना है जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन, यदि कोई, के संदर्भ में की गई है।

कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण

48. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण की तुलना आयातों की उतराई कीमत से की है। अधोलिखित तालिका घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत, पाटित आयातों की उतराई कीमत और कीमत अधोरदन को दर्शाती है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
कोरिया आरपी					
पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
निवल बिक्री प्रापण – पैक्ड	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	% रेंज	30-40	20-30	20-30	20-30
पाटनरोधी शुल्क सहित आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	***	***	***	***
निवल बिक्री प्रापण – पैक्ड	रुपए/एमटी	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन (%)	% रेंज	10-20	0-10	0-10	0-10

49. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, कीमत अधोरदन बिल्कुल पर्याप्त है। अत:, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी मात्रा में अधोरदन होने की संभावना है।

कीमत अधोविक्रयण

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत अधोविक्रयण क्षति आकलन का एक महत्वपूर्ण अभिसूचक है। गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया गया और कीमत अधोविक्रयण के परिमाण का निर्धारण करने के लिए उसकी तुलना संबद्ध वस्तु के उतराई मूल्य से की गई। गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II के अनुसार जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया गया है, फास्फोरिक एसिड के आयात पैक्ड और खुले रूप में किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में यह तर्क दिया है कि ऐसी सूचना दी गई है कि आयात केवल पैक्ड स्वरूप में ही हुए हैं। आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कोरिया आरपी से फास्फोरिक एसिड (खाद्य एवं तकनीकी ग्रेड) की आयात खेंप केवल 20 किलोग्राम से 215.6 एमटी की रेंज में ही हुई है। चूंकि फास्फोरिक एसिड की इतनी कम मात्रा का आयात खुले रूप में जहाज से करना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान खाद्य एवं तकनीकी ग्रेड के फास्फोरिक एसिड का आयात केवल पैक्ड फार्म में ही हो सकता है।

51. विश्लेषण यह दर्शाता है कि संबद्ध आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है जैसा कि अधोलिखित तालिका में यह दर्शाया गया है :

विवरण	यूनिट	पाटनरोधी शुल्क के बिना	पाटनरोधी शुल्क सहित
गैरक्षतिकारी कीमत-	रुपए/एमटी	***	***
उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	***
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	***	***
कीमत अधोविक्रयण %	%	***	***
कीमत अधोविक्रयण %	रेंज	15-25	(-5)-(-10)

52. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की उतराई कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत और उत्पादन लागत से कम है, जिसके कारण कीमत अधोविक्रयण हुआ।

कीमत निग्रहण और अवमंदन

53. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की प्रवृत्ति की तुलना उत्पादन लागत से की गई। अधोलिखित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई और बिक्री कीमत में हुई वृद्धि बहुत अधिक है। अत:, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के कारण घरेलू बाजार में कोई कीमत निग्रहण/अवमंदन नहीं हुआ। तथापि, यह नोट किया जाता है कि आयातों की उतराई कीमत ने केवल बिक्री कीमत बल्कि बिक्री लागत के स्तर से भी बहुत कम रही है। अत:, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटित एवं क्षतिकारी रूप से कीमत निर्धारित आयातों में कमी आई है वहीं पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर इसका अवमंदनकारी प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
आयातों की उतराई कीमत – पाटनरोधी शुल्क के बिना	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	133	154	161
आयातों की उतराई कीमत – पाटनरोधी शुल्क सहित	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	126	145	154
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	107	117	127
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	119	135	143

घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक पैरामीटर

54. पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II के अनुसार प्राधिकारी को संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना अपेक्षित होता है जिसमें उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं अभिसूचकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिनमें बिक्री, लाभ, आउटपुट बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में प्राकृतिक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन का परिमाण, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव शामिल है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों का विश्लेषण निम्नवत किया गया है :

बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

55. बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपायों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नवत है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
क्षमता	एमटी	53,730	53,730	53,730	53,730
उत्पादन	एमटी	34,741	45,252	45,486	49,073
क्षमता उपयोग	%	68.48	89.20	89.66	96.73
बिक्री मात्रा :					
-घरेलू	एमटी	34,844	45,057	46,637	48,366
-निर्यात	एमटी	71	36	165	105
-कुल बिक्रियां	एमटी	34,915	45,092	46,802	48,471

56. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने ऐसे संगत साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि वे मांग को देखते हुए अपनी क्षमता 1 लाख एमटी तक विस्तार करना चाहते हैं।

मांग में बाजार हिस्सा

57. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और बाजार हिस्से पर पाटित आयातों का प्रभाव निम्नलिखित है :

मांग में बाजार हिस्सा	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	50.44	63.17	61.06	64.21
संबद्ध देश – आयात	%	12.30	6.28	7.52	3.87
वह देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	34.67	26.30	24.33	21.28
अन्य देश – आयात	%	2.59	4.25	7.09	10.64
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

58. यह देखा जाता है कि मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह

59. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि का विश्लेषण निम्नवत किया गया है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	107	117	127
बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	119	135	143
लाभ/हानि	रुपए/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	744	1,063	1,022
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	962	1,423	1,418
कर एवं ब्याज पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	763	1,100	1,372
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	289	389	375
निवेश पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	731	979	946

60. यह देखा जाता है कि :

(क) बिक्री लागत में वर्षों तक निरंतर वृद्धि हुई है।

(ख) बिक्री लागत में वृद्धि होने के साथ-साथ क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी वृद्धि हुई है।

(ग) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है तथापि विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें मामूली सी गिरावट आई है।

(घ) क्षति अवधि के दौरान नकद लाभ एवं निवेश पर प्रतिलाभ में सुधार प्रदर्शित हुआ है।

मालसूची

61. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े अधोलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
अथ स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
इति स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	79	66

62. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

रोजगार एवं पारिश्रमिक

63. रोजगार एवं पारिश्रमिक से संबंधित स्थिति निम्नलिखित है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	98	94	93
पारिश्रमिक	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	115	114	159

64. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग बहु उत्पाद कंपनियों को मिलाकर बना है, इसलिए देश की श्रम विधियां और प्रभावी पाटनरोधी शुल्क, यह पैरामीटर पाटन के संभावित विपरीत प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। यह नोट किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या समान ही बनी रही और संदत्त पारिश्रमिक में वृद्धि हुई।

उत्पादकता

65. उत्पादकता से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
उत्पादकता प्रतिदिन	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	130	131	141
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	133	139	152

66. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण वृद्धि हुई है।

कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

67. संबद्ध देश की आयात कीमतों तथा अन्य देशों से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा वे अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं पर विचार यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन हो रहा है। भारतीय उत्पादकों की कीमतों के लिए बेंचमार्क भारत में आयात कीमतें हैं। इस उत्पाद का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थानी नहीं है। संबद्ध वस्तु की मांगने भारी वृद्धि प्रदर्शित की है और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तरदायी एकमात्र कारक इस वस्तु का पाटन करने वाले देशों से इस उत्पाद की आयात कीमत और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है। जैसाकि यह सूचना दर्शाती है आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है, इसलिए यह संभावना है आयात बाजार में घरेलू उद्योग कीमतों का निग्रहण करेंगे।

पाटन की मात्रा

68. संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

69. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग के निष्पादन ने विभिन्न आर्थिक प्राचलों जैसे उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह में पाटनरोधी शुल्क के नियंत्रण के अंतर्गत सकारात्मक विकास प्रदर्शित किया है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटनरोधी शुल्क ने पाटित आयातों से घरेलू उद्योग के पतन का निवारण किया है और उसके परिणामस्वरूप ही घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार आयात है। यद्यपि आयातों की मात्रा में कमी आई है, फिर भी घरेलू बाजार में आयात भारी पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आयातों की उतराई कीमत न केवल उत्पादन लागत से कम है बल्कि यह जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है। ऐसे परिदृश्य में, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग की कीमतों पर विपरीत प्रभाव पड़ने और उसके परिणामस्वरूप भारी कीमत अवमंदन होने की संभावना है। यदि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें आयातों की उतराई कीमत के स्तर तक कम के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे अपने उत्पाद की बिक्री घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से भी भारी मात्रा में कम कीमत पर बिक्री करेन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

घरेलू उद्योग के विचार

70. घरेलू उद्योग ने पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं।

(क) पूर्व जांचों में और वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और पाटन मार्जिन स्पष्टत: यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की संभावना है।

(ख) संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास भारी उत्पादन क्षमता है। उनकी ज्ञात क्षमता लगभग 105600 एमटी है जो भारत में इस संबद्ध वस्तु की मांग/खपत से अधिक है। यदि वर्तमान शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देश से पाटन में वृद्धि होने की संभावना है और इससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होगी।

(ग) यह तथ्य है कि पाटनरोधी शुल्क मौजूद होने के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यात किए गए, इसलिए यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर हो रहे निर्यातों में वृद्धि होगी और इससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होगी।

(घ) विदेशी उत्पादक अपना मुख्य फोकस निर्यात को बनाते हैं। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इस बात की पूर्ण संभावना है कि यह निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात में वृद्धि कर देंगे।

(ङ) पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन बहुत अधिक है। यह केवल प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के कारण ही ऐसा हो रहा है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। अत:, यह स्पष्ट है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हो समाप्त कर दिए जाने की अनुमति दी जाती है तो आयातों से भारी कीमत अधोरदन होगा जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति कारित होगी।

(च) शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात आयातों में गिरावट होना और इन आयातों पर सकारात्मक पाटन मार्जिन होना यह अभिप्रायित करता है कि यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन की संभावना में वृद्धि होगी और इससे पाटनरोधी शुल्क में विस्तार किया जाना न्यायोचित ठहराता है।

(छ) याचिकाकर्ताओं ने निर्णायक समीक्षा जांच का आयोजन करने के संबंध में यूएस नीति का उल्लेख किया है और यह प्रस्तुत करते हैं कि यूएस द्वारा अनुप्रयोग किए गए पैरामीटरों को जब वर्तमान मामले में अनुप्रयोग किया जाता है तो वह पाटनरोधी शुल्क में विस्तार किए जाने की जरूरत को स्पष्ट करता है।

(ज) भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदनशील बाजार है। उपभोक्ता अपने अधिप्रापण का निश्चय कीमतों पर विचार करने के पश्चात ही करते हैं। ऐसा मामला होने पर, बाजार में संबद्ध देश से न्यून कीमत वाले आयातों की उपलब्धता निश्चित रूप से घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव कारित करेगी। यह संबद्ध देश के निर्यातकों तथा इस उत्पाद के पाटन के अन्य स्रोतों द्वारा काफी लंबे समय से किए जाने से और भी स्पष्ट हो जाता है।

(झ) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को या तो अपनी बिक्री कीमत में पाटनरोधी शुल्क की राशि के बराबर कमी करनी होगी अथवा ऐसा न करने पर घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा समाप्त हो जाएगी इनमें से किसी भी हाल में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सहन करनी होगी।

(ञ) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर अपनी बिक्री करने को बाध्य हो जाता है तो घरेलू उद्योग को घाटा होगा। निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ भी ऋणात्मक हो जाएंगे। इसलिए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने का बाजार में कीमतों पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(ट) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें समान स्तर पर बनाए रखने का चयन करता है तो घरेलू और आयात कीमतों के बीच भारी कीमत अंतर के मद्देनजर आयात मात्रा में वृद्धि होगी। इससे घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना बनेगी।

(ठ) यद्यपि जांच की प्रस्तावित अवधि में कोरिया आरपी से निर्यातों के हिस्से में कमी आई है, तथापि, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों के लिए भारत एक प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थल बना हुआ है।

(ड) संबद्ध निर्यातक भारत में वरणात्मक रूप से पाटन कर रहे हैं और भारत को एक पसंदीदा बाजार मानते हैं। शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की **स्थिति** में कोरिया आरपी से आयातों में बढ़ोतरी होगी क्योंकि बेशी उत्पादन क्षमता से सज्जित निर्यातक अपना लक्ष्य यह बनाएंगे कि उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग हो।

(ढ) इस संबद्ध उत्पाद का कोरिया आरपी एक प्रमुख निर्यातक है और यह अपने उत्पाद का कई देशों को निर्यात कर रहा है। कोरियाई उत्पादकों के पास इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने की भारी क्षमता है। याचिकाकर्ताओं ने कोरिया आरपी से संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों को किए गए निर्यातों की मात्रा और मूल्य का विश्लेषण किया है। इस सूचना का सत्यापन कोरियाई सीमाशुल्क से भी किया जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि कोरिया आरपी द्वारा संपूर्ण विश्व में किए गए अधिकतर निर्यात पाटित एवं क्षतिकारी कीमतों पर किए गए हैं।

(ण) वह कीमतें जिन पर संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है सामान्य मूल्य से पर्याप्तत: कम हैं। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इस बात की संभावना है कि संबद्ध देश के निर्यातक पाटन की प्रक्रियाओं को जारी रखेंगे।

आयातकों/उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

71. पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति होने के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

72. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के तर्कों की जांच की है और पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की भी जांच की है जो निम्नलिखित है :

i. **इस साधन के अभाव में कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण, कीमत अवमंदन**

73. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के प्रभाव की जांच बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीममत अधोरदन, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन प्रभाव के रूप में तथा जांच की अवधि अर्थात वर्ष 2013-14 के लिए घरेलू उद्योग पर इसके परिणामी प्रभाव के रूप में की है। यह देखा जाता है कि आयातों की उतराई कीमत उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से वास्तव में बहुत कम है।

74. इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की अनुमति दी जाती है ओर यदि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री कोरिया आरपी से आयात कीमतों के बराबर कीमतों पर करता है तो घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, ऋणात्मक नकदी प्रवाह और निवेश पर ऋणात्मक प्रतिलाभ सहन करना होगा।

ii. **संबद्ध देश से भारी पाटित और क्षतिकारी निर्यात**

75. प्राधिकारी के पास इस आशय की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि किसी अन्य देश ने इस संबद्ध वस्तु के लिए कोरिया आरपी के खिलाफ कोई पाटनरोधी जांच शुरू की है अथवा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के समक्ष अपने प्रस्तुतिकरण में यह दावा किया है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा इस संबद्ध वस्तु का निर्यात एक ऐसी कीमत पर किया जा रहा है जो पाटित कीमत है। इस संबंध में संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों को किए गए संबद्ध निर्यातों से संबंधित सूचना की प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए देशवार आधार पर जांच की गई है। संबद्ध देश के लिए निर्यात आंकड़ों पर कोरियाई सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार विचार किया है। इन कीमतों पर एफओबी निर्यात कीमत के रूप में विचार करते हुए इन संव्यवहारों (लेनदेनों) के लिए उचित समायोजन (पाटन मार्जिन के लिए एफओबी से फैक्टरी बाह्य और क्षति मार्जिन के संबंध में एफओबी से उतराई कीमत) के पश्चात पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है।

	पाटित	**गैर-पाटित**	**कुल**
मात्रा एमटी में	9,218	621	9,839
%	93.69	6.31	100.00
निवल निर्यात कीमत यूएस डालरएमटी में/	792	2,871	986

	क्षतिकारी	**गैर-क्षतिकारी**	**कुल**
मात्रा एमटी में	7,554	2,286	9,839
%	76.77	23.23	100.00
उतराई कीमत यूएस डालरएमटी में/	916	1,644	1,085
उतराई मूल्य यूएस डालर/एमटी में	***		
गैरक्षतिकारी कीमत यूएसडालर-/ एमटी में	***		

76. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों को निर्यात की कुल मात्रा बहुत अधिक रही है। इसके अतिरिक्त, कोरिया आरपी से पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर भारी निर्यात किए गए हैं। इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देश के निर्यातों का भारी अनुपात तृतीय देशों को पाटित कीमतों

पर और ऐसी कीमतों पर किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यदि यह आयात भारतीय बाजार की ओर विपथित कर दिए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को भारी क्षति होगी। इसके अतिरिक्त, भारत में मांग पर विचार करते हुए पाटन और क्षतिकारी कीमतों पर निर्यातों की यह मात्रा बहुत अधिक है।

iii. उन विदेशी उत्पादकों की बेशी क्षमताएं जो निर्यात उन्मुखी हैं

77. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोरिया आरपी के उत्पादकों की क्षमता लगभग 105600 एमटी है जो कोरिया की स्थानीय बाजार की मांग की तुलना में बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराया गया साक्ष्य यह दर्शाता है कि विभिन्न निर्यातकों की क्षमता निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	**नाम**	**क्षमता-उत्पादन**
कोरिया आरपी		
1.	दाइयांग इंटरनेशनल कंपनी	500 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह
2.	सोहेअंगचेम कंपनी लिमिटेड	1000 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह
3.	मेटाकेम कार्प	1,500 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह
4.	एस टी कैमिकल	300 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह
5.	सेमयांग टेक कंपनी लिमिटेड	3,000 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह
6.	ओसीआई कारपोरेशन	2,500 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह
7.	सैन्को मार्केटिंग इंक	1700 मीट्रिक टन/मीट्रिक टन प्रति माह

78. अधोलिखित तालिका संबद्ध देश में निर्यातकों द्वारा निर्यात का प्रतिशत दर्शाती है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराया गया है।

क्र.सं.	**ज्ञात विदेशी उत्पादकनिर्यातक का नाम/**	**निर्यात उन्मुखता**
कोरिया आरपी		
1.	दाइयांग इंटरनेशनल कंपनी	41% - 50%
2.	सोहेअंगचेम कंपनी लिमिटेड	41% - 50%
3.	मेटाकेम कार्प	31% - 40%
4.	जेकेआई इंटरनेशनल	51% - 60%
5.	सेमयांग टेक कंपनी लिमिटेड	61% - 70%
6.	नामडक मूलसैन कंपनी लिमिटेड	41% - 50%
7.	कैन्को मार्केटिंग इंक	91% - 100%
8.	बी आर कारपोरेशन	71% - 80%

79. उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों के पास भारी क्षमता मौजूद है और निर्यातक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी है। इसके अतिरिक्त, भारत में एक ऐसी बाजार में वृद्धि होने, जो भारी कीमत संवेदी है, से यह संभव है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटित आयातों और क्षतिकारी कीमतों में वृद्धि होगी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

iv. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

80. वह कीमत जिस पर संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है, उस कीमत से पर्याप्तत: कम है जिस पर संबद्ध वस्तु की घरेलू बाजार में बिक्री की जा रही है। इसलिए, शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश के निर्यातक अपने उत्पाद का, उनके पास भारी क्षमता के मद्देनजर, भारतीय बाजार में सरणीकरण करेंगे। इसके अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद, वह कीमत जिस पर भारत को इस संबत्र वस्तु का निर्यात किया

जा रहा है, अन्य देशों को औसत निर्यात कीमत की तुलना में काफी कम है। भारत को निर्यात, तृतीय देशों को किए जाने वाले निर्यातों की कीमत से, बहुत कम कीमत पर किए जा रहे हैं।

81. इस प्रकार, संबद्ध देश भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन अन्य देशों की तुलना में अधिक तीव्रता से कर रहा है। इससे यह स्पष्टत: सिद्ध हो जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।

कारणात्मक संबंध

82. अधिनियम की धारा 9क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी को पाटन एवं क्षति की संभावना तथा शुल्कों की निरंतरता की जरूरत की जांच करना अपेक्षित होता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटित आयातों में तीव्रता आने तथा क्षति कारित होने की संभावना है। ऐसा होते हुए भी, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है अथवा उनसे क्षति होने की संभावना है।

(क) पाटित कीमतों पर बिक्री न किए गए आयातों की मात्रा और मूल्य : अन्य देशों से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लगा है अथवा उनका आयात उच्चतर कीमतों पर किया जाता है।

(ख) मांग में संकुचन : प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग ने संपूर्ण क्षति अवधि में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। अत:, मांग में संकुचन वह संभावित कारण नहीं हो सकता है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति में अपना योगदान दिया होगा।

(ग) खपत ने प्रतिमानों में परिवर्तन : इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के प्रतिमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के प्रतिमान में घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान होने की संभावना नहीं है।

(घ) घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं : ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसका घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

(ङ) प्रौद्योगिकी में विकास : यह नोट किया जाता है कि इस उत्पादन का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में न तो कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है और न ही भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है। इसलिए, प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का एक संभावित कारक प्रतीत नहीं होता है। घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद का विगत कई वर्षों से उत्पादन कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संपूर्ण विश्व में अन्य उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के तुलनीय है।

(च) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन : घरेलू उद्योग में बहु उत्पाद कंपनियां शामिल हैं। तथापि, क्षति विश्लेषण इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही किया गया है।

(छ) उत्पादकता : यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता ने वृद्धि प्रदर्शित की है। उत्पादकता में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारक नहीं हो सकती है।

क्षति मार्जिन एवं क्षति का परिमाण

83. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश के निर्यातों के उतराई मूलय से की गई है। इस तरह तुलना करने पर, प्रस्तावित क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

देश/निर्यात	यूनिट	कोरिया आरपी	यूनिट	कोरिया आरपी
गैरक्षतिकारी कीमत-	रुपए/एमटी	***	यूएस डालर/ एमटी	***
उतराई कीमत	रुपए/एमटी	***	यूएस डालर/ एमटी	***
क्षति मार्जिन	रुपए/एमटी	***	यूएस डालर/ एमटी	***

क्षति मार्जिन %	%	***	%	***
क्षति मार्जिन % रेंज	रेंज	15-25	रेंज	15-25

84. यह देखा जा सकता है कि क्षति मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है बल्कि यह बहुत अधिक है।

भारतीय उद्योग का हित

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यत:, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं घरेलू उद्योग को कारित की जा रही क्षति का उपशमन करना है जिससे कि भारतीय बाजार में मुक्त और पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा पुन: स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

86. ऐसा माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की संगत प्रतिस्पर्धात्मता पर कुछ प्रभाव पर अवश्य पड़ेगा। तथापि, पाटनरोधी शुल्क द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी, खासकर तब जब पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण घरेलू उद्योग को क्षति का प्रशमन करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ दूर करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में आने वाली गिरावट को कम करेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किया गया विवरण प्रस्तुतिकरण

ड.1. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

87. किसी भी निर्यातक/आयातक/उपयोक्ता और अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन पश्चात कोई भी विवरण प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण

88. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(i) इस विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात होना जारी रहा जिसके परिणामस्वरूप पाटन की निरंतरता बनी रही।

(ii) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के मद्देनजर घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ।

(iii) यह आयात न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बल्कि उत्पादन लागत से भी कम हैं।

(iv) यदि संबद्ध देश से पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन होने एवं उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की स्पष्ट संभावना है।

(v) मैसर्स पंजाब कैमिकल्स एंड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड खाद्य ग्रेड का उत्पादन कर रहा है, अत: खाद्य ग्रेड का उत्पादन तथा घरेलू बाजार में उसकी बिक्री की जा रही है और इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इसका अपवर्जन नहीं किया जा सकता है। किसी भी हाल में कोरिया से खाद्य ग्रेड के फास्फोरिक एसिड के कोई ज्ञात आयात नहीं है और इसलिए किसी भी हाल में इस अपवर्जन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(vi) इस समय अभिभावी पाटनरोधी शुल्क क बिना कीमत अधोरदन सकारात्मक है।

(vii) आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से पर्याप्तत: कम है। इसलिए, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उपभोक्ताओं का झुकाव आयातित उत्पाद की ओर हो जाएगा जिससे इस उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि होगी।

(viii) गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण उपयुक्त नहीं है और इससे घरेलू उद्योग का अनुचित रूप से कम संरक्षण हो रहा है। इस संयंत्र की उच्च अतिजीवित को देखते हुए, घरेलू उद्योग के लिए प्रतिलाभ की उच्चतर दर पर विचार किए जाने की जरूरत है।

(ix) पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण यूएस डालर में केवल नियत प्रमात्रा में ही किया जाना चाहिए।

(x) चूंकि पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति, पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना पर आधारित है, इसलिए शुल्क की प्रमात्रा में किया जाने वाला कोई भी संशोधन उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुतिकरण करते हैं कि शुल्क की प्रमात्रा में कोई भी उपांतरण करना अपेक्षित नहीं है और मौजूदा शुल्क का ही विस्तार कर दिया जाना चाहिए।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग के उपर्युक्त तर्क पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति के हैं और उनका प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है और उनका एक बार पुन: समाधान इस अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत और निम्नवत कर दिया गया है :

(i) जहां तक सतत पाटन का संबंध है, जांच में यह प्रदर्शित हुआ है कि कोरिया आरपी से इस उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुआ है, अत: इसके परिणामस्वरूप उत्पाद का पाटन जारी रहा।

(ii) जहां तक घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार होने का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मौजूदा क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, यह निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण प्राधिकारी को पाटन बने रहने की निरंतरता एवं उसकी संभावना तथा घरेलू उद्योग को क्षति दोनों की जांच करना अपेक्षित होता है। जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, उत्पादन लागत तथा गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है। अत:, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

(iii) जहां तक कीमत अधोरदन का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। अत:, पाटनरोधी शुल्क के अभाव में बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन होने की संभावना है।

(iv) जहां तक गैर-क्षतिकारी कीमत की अनुचित प्रमात्रा और घरेलू उद्योग को संरक्षण की न्यून प्रमात्रा का संबंध है, प्राधिकारी ने गैर-क्षतिकारी कीमत का परिकलन अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया है।

(v) जहां तक इस साधन के स्वरूप एवं मुद्रा की इकाई का संबंध है, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क का समय विस्तार करने की सिफारिश करते समय घरेलू उद्योग के तर्क को और उसकी प्रक्रिया को नोट कर लिया है।

(vi) जहां तक पाटनरोधी शुल्क की उसी प्रमात्रा का विस्तार करने के लिए अनुरोध का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि मौजूदा जांच की अवधि में आयात भारी मात्रा में हुआ और इसलिए निर्धारित पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन प्रतिनिधिक हैं और वे पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त हैं। प्राधिकारी शुल्क के स्वरूप में परिवर्तन करना उपयुक्त समझते हैं।

(vii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि दिनांक 4.4.2012 की अधिसूचना सं. 19/2012-सी.शु. द्वारा चीनी ताइपेयी और इसराईरील के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क लागू है । इसके अलावा, दिनांक 31.12.2013 की अधिसूचना सं. 33/2013-सी.शु. द्वारा के चीन जन. गण. मूल के अथवा वहां से निर्यातित तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड के आयातों पर भी शुल्क लागू है ।

च. **निष्कर्ष**

90. प्राधिकारी नोट करते है कि कोरिया आर.पी. के किसी भी निर्यातक ने इस जांच में भाग नहीं लिया अर्थात उन्होंने न तो जांच शुरुआत पश्चात प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए और न ही मौखिक सुनवाई में भाग लिया अथवा प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण भी नहीं किया। एक आयातक संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण है। घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए तर्कों, संदीप आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण, प्रदान कराई गई सूचना और दिए गए प्रस्तुतिकरणों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन एवं क्षति की निरंतरता की संभावना के विश्लेषण सहित, उपर्युक्त विश्लेषण तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं कि:

(i) विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया जाना जारी है जिसके परिणामस्वरूप पाटन और क्षति हुई है

(ii) संबद्ध देशों के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनो काफी अधिक और सकारात्मक है, जिसका अर्थ है कि तीव्र पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना है।

(iii) भारत को संबद्ध देशों के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे पाँच वर्षों की अवधि की लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

सिफारिशें

91. उपर्युक्तानुसार निष्कर्ष के पश्चात प्राधिकारी की यह राय है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए पाटनरोधी उपाय की सिफारिश किया जाना अपेक्षित है।

92. प्राधिकारी द्वारा अपेक्षाकृत कम शुल्क संबंधी नियम का अनुपालन किए जाने के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से अपेक्षाकृत कम मार्जिन के समान पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर नीचे दी गई तालिका में इंगित राशि के बराबर पाटन शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	मूलता का देश*	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि(अम. डा./डीएमटी)	माप की इकाई	मुद्रा
1	28092010	सभी ग्रेडों एवं सभी सांद्रणों के फास्फोरिक एसिड कृषि/उर्वरक ग्रेड) (को छोड़कर	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कोई भी	162.52	मीट्रिक टन	अम. डा.
	28092010	सभी ग्रेडों एवं सभी सांद्रणों के फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक) ग्रेड को छोड़कर	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य से इतर कोई देश	कोई भी	कोई भी	162.52	मीट्रिक टन	अम. डा.

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	मूलता का देश*	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि(अम. डा./डीएमटी)	माप की इकाई	मुद्रा
	28092010	सभी ग्रेडों एवं सभी सांद्रणों के फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक) ग्रेड को छोड़कर	कोरिया गणराज्य से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कोई भी	162.52	मीट्रिक टन	अम. डा.

*नोट: यदि अलग-अलग सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में किसी संबद्ध देश के संबंध में संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अतिव्यापन होता है तो संबद्ध देश पर वह शुल्क लागू होगा जो "उद्गम के देश" कॉलम के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लिखित उक्त देश वाली सीमाशुल्क अधिसूचना में उस पर लगाया गया हो।

93. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्क को छोड़कर सीमाशुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।

94. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना से जारी केंद्रीय सरकार के आदेशों के विरूद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में एक अपील दायर की जा सकती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2015

(Final Findings)

Subject: Sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) originating in or exported from Korea RP.

No. 15/7/2014-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "Rules");

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. WHEREAS, having regard to the above Act and the Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an antidumping investigation in respect of the imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration" also) originating in or exported from Korea RP (hereinafter referred to as Korea RP or the subject country also) and recommended definitive anti dumping duty vide Final Findings Notification No 14/07/2007-DGAD dated 11th November, 2009. Definitive anti dumping duty was levied by the Central Government vide Custom Notification No 140/2009-Customs dated 15.12.2009.

3. AND WHEREAS M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd and Punjab Chemicals and Crop Protection Limited, major manufacturer of the subject goods in India, approached the Authority with a duly substantiated application requesting for

sunset review of the definitive anti-dumping duty earlier imposed vide Ministry of Finance Notification No. 140/2009-Customs dated 15.12.2009 on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and seeking the continuation of anti-dumping duty on the grounds that cessation of anti dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Having satisfied that the petitioners M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd and Punjab Chemicals and Crop Protection Limited have prima facie substantiated the need for a review, the Designated Authority considered it appropriate to initiate sunset review vide notification no. 15/07/2014-DGAD dated 20th June, 2014. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 21st June 2015 vide Notification No. 32/2014-Customs (ADD) dated 23rd July, 2014.

B. GENERAL PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The embassy of the subject country in New Delhi was intimated about the initiation of the investigation in accordance with Rules.

b. The Authority issued a notification no. 15/07/2014-DGAD dated 20th June, 2014 initiating sunset review investigations, which was published in the Gazette of India Extraordinary.

c. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers and/or exporters in the subject country and provided them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules.

d. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and/or consumers of subject goods in India and advised them to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rules.

e. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassy of the subject country in India in accordance with the Rules. A copy of the non-confidential application was also made available for other interested parties, on request.

f. The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the government of subject country, including known exporters/producers in accordance with the Rules. However none of the exporters/producers from the subject country filed response to the questionnaire.

g. Questionnaire was sent to known importers or users for providing necessary information in accordance with the Rules. The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. None of the importers filed response to the questionnaire. However, Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai, an importer, filed its legal submissions.

h. The Authority held a public hearing on 11th March, 2015 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally. Only the domestic industry attended the public hearing and filed written submissions of the information presented orally. The Authority has considered these written submissions received from the domestic industry.

i. Arguments raised and information/evidence provided by the interested parties during the course of the investigation, to that extent the same are considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.

j. The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon. The Authority conducted on-the-spot verification at the premises of the domestic industry to the extent considered relevant and necessary. Additional/ supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.

k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by domestic industry through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

l. Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

m. Investigation was carried out for the period starting from April, 2013 to March, 2014(12 months and has been referred to as the period of investigation or POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.

n. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority shall record findings on the basis of the facts available.

o. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

p. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 12.06.2015. Only the Domestic Industry responded to the Disclosure Statement and no opposing interested party responded to the said Disclosure Statement. The post Disclosure Statement submissions received from the domestic industry have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

q. **** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.

r. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs. 60.85= 1 US$.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

6. The product under consideration in the present investigation is "Phosphoric Acid of all grades and all concentration (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) originating in or exported from Korea RP.

7. Phosphoric Acid is a clear, colourless, odourless, non-volatile, rather viscous, syrupy liquid, commonly used as an aqueous solution of 85% solution can be corrosive, although non-toxic when diluted. Phosphoric Acid is used for the production of sodium phosphate, calcium phosphate, magnesium phosphate, ammonium phosphate, pharmaceutical applications, beverages, seed processing, sugar juice and sugar refining, food phosphate manufacturing, etc. Phosphoric Acid is an inorganic chemical classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act and subheading number 2809.20 of Indian Trade Classification (based on harmonized commodity system). The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

8. The Designated Authority noted as follows in the Final Findings of the original investigation vide notification dated 15th December, 2009:

"The product under consideration in the present investigation is Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)."

9. The Authority notes that one importer Sandeep Organics Pvt Ltd has contended that:

(i)Domestic industry packing is mainly in 50 kgs HM-HDPE carboys. While, Korea exports mainly now in 330 kgs net drum. Price varies according to the packing. 330 kgs packing is cheaper & 50 kgs is costlier.

(ii) There is difference in quality with regards to p205, iron (fe), chloride (Cl), flouride (F), CA, MG, heavy metal Pb (lead), arsenic (AS), acetic acid (CH3COOH) contents when compared between domestic industry & Korea.

(iii) Domestic industry manufactures minimum 85% purity concentration/aqueous solution only. There should be no anti dumping on imports of 75% purity concentration/aquous solution from Korea, lower the purity concentration/aqueous solution, lower is the price & vice versa.

(iv) Domestic industry manufactures technical grade only. There should be no anti dumping on imports of food grade from Korea. Food grade is costlier & technical grade is cheaper.

(v) Recycled phosphoric acid is inferior & cheaper. There should be no anti dumping on recycled phosphoric acid.

10. Fertilizer/agriculture grade has been specifically excluded from the scope of product under consideration.

11. As regards the claim on difference in packing cost, the Authority notes that the submission is not substantiated and no evidence has been placed to show alleged difference.

12. As regards the argument that there is difference in quality of imported goods as compared to domestically produced goods, the Authority notes that the claim has not been substantiated and furthermore it is not even the claim of the interested party that difference in quality lead to non substitution of the product.

13. As regards the argument that domestic industry manufacturers only 85% purity and, therefore, imports of subject goods with 75% purity should be excluded, the Authority notes that the claim is baseless and incorrect. Transaction wise import data shows that only 21.75 MT out of total 2,960 MT were silent on the concentration of Phosphoric Acid 85% purity, remaining transactions have description of 85%.

14. As regards the argument that Domestic industry manufactures technical grade only, the Authority notes that Punjab Chemicals and Crop Protection Limited, who has expressly supported the investigation, produces food grade. Thus the

Indian industry produces food grade and therefore food grade cannot be excluded from the scope of product under consideration.

15. As regards the argument that there should be no anti dumping on recycled phosphoric acid, the Authority notes that no reasoning or evidence has been submitted to justify the claim.

16. Considering the information on record, the Authority concludes that the scope of the product under consideration remains the same as considered in the original investigation, i.e., the product under consideration is Phosphoric Acid of all grades and all concentrations excluding all forms of Agriculture/Fertilizer Grade.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions by the Domestic Industry

17. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to scope of the Domestic Industry and Standing:

i. The present petition has been filed by Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd which constitute domestic industry for the product under consideration in India.

ii. Aditya Birla, the other Indian producer, has supported the investigation and also provided complete information to the Authority.

iii. Petitioners alone constitute 'a major proportion' of Indian production and the petitioners, therefore, satisfy the requirement of standing under the Rules and constitute the domestic industry. Thus, the application has been made by or on behalf of the domestic industry.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

18. None of the interested parties have made submissions with regard to scope of the Domestic Industry and its standing.

Examination by Authority

19. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

20. The application was filed by M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and M/s Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd. At the time of initiation, the production of these two companies constituted a major proportion in Indian production which was 50.36% and 1.40% respectively. However, post initiation, Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd. failed to furnish the costing and financial data. On the other hand, post initiation, M/s Aditya Birla Chemicals Ltd, another major producer of the subject goods (48%), provided information pertaining to their production and the assessment of injury and non injurious price. There is no other known producer of the product under consideration in India.

21. Since Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd. did not furnish the costing and financial data, the Authority is not considering this company as part of the domestic industry as has been done by the Authority in some other similarly placed investigations. However, the Authority considers it appropriate to include Aditya Birla Chemicals as part of the domestic industry. As per the records available to the Authority, the combined production of Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd and Aditya Birla Chemicals constitutes almost 99% of Indian production.

22. On the basis of the above, the Authority has determined the standing of the applicants and concludes that Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. and Aditya Birla Chemicals constitute domestic industry within the meaning of the Rules, as combined production of these companies accounts for a major proportion of the domestic production of the subject goods during the POI.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, DUMPING MARGIN

Views of the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to dumping margin:

i. Korea RP is a market economy country and, therefore, normal value in case of Korea RP should be determined in accordance with Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975.

ii. Efforts were made to get evidence of price of product concerned in the domestic market of Korea RP. Efforts were also made to get any evidence of price from the published sources. There is no publication which provides prices of the product under consideration in Korea RP.

iii. The product prices are not publicly available. The prices are transacted between the producers and consumers and, therefore, the same are not in the public domain. In view of the same, the normal value has been constructed. The petitioners have determined the normal value for Korea RP on the basis of estimates of cost of production based on best available information, with addition of selling, general and administrative expenses.

iv. The export price has been determined considering the volume and value of imports for the proposed period of investigation as per data released by the secondary source. Export price has been determined as the per unit weight import price from the subject country.

v. The export price has been adjusted for the expenses that have been incurred by the exporter for exporting the material to India.

vi. The exporters from Korea RP are continuing to dump the subject goods in the Indian market.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

24. Sandeep Organics Ltd, an importer has made submissions as under.

(i) Domestic industry is incurring additional expenses such as handling charges, packing charges, transport charges, central sales tax, agent's commission, agent's profit, warehouse charges etc.

(ii) Exporter from Korea is Canko Marketing Inc. There is difference in duty structure. CVD in domestic industry is 12%, 2% & 1%. While, CVD in Korea is 12% only. There is special additional duty of 4% on imports from Korea. Basic duty on phosphoric acid is 5%. Basic duty from Korea under free trade agreement against Korea-India Comprehensive economic partnership agreement preferential certificate of origin combined declaration and certificate is 4.69%.

(iii) Import price of Korea is USD 725- 750 pmt CIF nhava sheva. Export data from Busan port of Korea should be considered.

Examination by Authority

25. Under section 9A (1) (c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

26. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. However, none of the producer/ exporter from subject country has co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses.

27. As regards the argument that Domestic industry is incurring additional expenses, the Authority notes that even the exporters incur additional expense and in any case, the comparison is made at similar level.

28. As regards the argument that Korea has preferential duty, the Authority notes that concession on duties does not justify unfair trade by the countries. The concessional duties have no impact on the dumping margin.

29. As regards the argument that imports price of Korea is USD 725- 750 pmt CIF, the Authority notes that the average import price for the period 2013-14 comes higher. Thus the claim of the interested party would show further dumping and injury being caused to the domestic industry.

30. In the absence of cooperation from any producers/exporters in the subject country, the Authority has determined the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of AD Rules read with Article 6.8 of the WTO Agreement.

31. Accordingly, the Authority has determined the normal value, export price and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject country as follows.

Normal Value for all producers/exporters from Korea RP

32. As provided under the law, the Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of Korea RP for determining normal value in Korea RP. The petitioners claimed that there is no evidence of actual selling price prevailing in the domestic market of the Korea RP. None of the exporters in Korea has cooperated with the Authority with questionnaire response. The Authority notes that in the absence of any response from any Korean producer in the form and manner prescribed, the normal value cannot be determined on the basis of questionnaire response of a producer in the Korea RP. The Authority has, therefore, constructed the normal value by considering the cost of production of the most efficient domestic industry, international price of major raw materials, including selling, general & administrative costs and reasonable profits. The imports data shows that import consignments of Phosphoric Acid (Food and Technical Grade) from Korea RP range from 20 kg. to 215.6 MT. Since it may not be commercially viable to import such small quantity of Phosphoric Acid in loose form in ship loads, the Authority notes that imports of the Phosphoric Acid during POI can be made in packed form only. The normal value is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Export price for all producers/exporters from Korea RP

33. Since none of the exporters from the subject country has responded to the Authority, the Authority has determined the Export Price in respect of imports from Korea RP on the basis of best information available in accordance with the Rules. The petitioners had determined export price on the basis of imports of the product under consideration in India, as reported by secondary sources. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the injury period. The Authority has adopted the transaction wise data procured from the DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by the petitioners in view of non cooperation from the exporters from Korea RP. The export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses, bank charges to determine ex-factory export price of the product under consideration. The export price is as indicated in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin Table

34. After the analysis of the data, the proposed dumping margin is worked out as mentioned in the table below.

Normal Value (Packed)	Export Price (Packed)	Dumping Margin (packed)	Dumping Margin	Dumping Margin Range
US$/MT	US$/MT	US$/MT	%	%
***	***	***	***	35-45

F. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

Views of the Domestic Industry

35. The submissions made by the Domestic Industry with regard to injury and casual link are as follows:

i. There is a significant increase in the demand for the product under consideration over the injury period.

ii. Imports from the subject country declined in 2011-12, increased in 2012-13 and declined thereafter in the proposed investigation period. However, imports have again increased in the post POI.

iii. Price undercutting without anti dumping duty is significant. The subject imports are likely to severely undercut the prices of the domestic industry, which would cause serious injury to the Domestic Industry, in the event of cessation of duties.

iv. A comparison has also been made between the landed price of imports and non-injurious price. It may be seen that landed price of imports is far below the non-injurious price in the proposed period of investigation.

v. Production, capacity utilization and sales of the domestic industry have remained almost at constant levels with slight changes over the injury period. Imposition of anti-dumping duty has thus helped the domestic industry in dealing with the injury earlier caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.

vi. In view of the demand supply gap in the domestic market, the petitioners have proposed to enhance their capacity by 1 lac MT. However, if the past one decade history of the product under consideration is considered on cumulatively basis, it would be seen that the domestic industry has not been able to earn profits. In such a situation, cessation of anti dumping duty would lead to recurrence of injury. This would certainly make the domestic industry incapable of expanding capacity.

vii. The market share of the domestic industry has declined. Market share of dumped imports from Korea RP has also declined. However, the market share of Korea is significant considering the presence of anti-dumping duty.

viii. Profitability of the domestic industry improved throughout the injury period. Cash profits, profits before interest and return on capital employed improved over the injury period. The domestic industry suffered injury in 2010-11 due to influx of dumped imports from Israel and Taiwan. Thereafter, the Domestic Industry recovered due to presence of anti-dumping duties against Israel, Taiwan as also against Korea RP.

ix. Inventories with the Domestic Industry have decreased over the injury period.

x. The domestic industry has been growing in terms of profits and return on investment. Sales and production have remained at constant levels because of the anti-dumping duty protecting the domestic industry from injury due to dumped imports.

xi. The dumping margin is not only more than de minimis but also very substantial.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

36. Sandeep Organic Ltd has made the following submissions with regard to injury and causal link.

(i) Domestic industry is making profit. Inventory and capital utilization of domestic industry needs to be checked

(ii) Production capacity of domestic industry is only 80 tonnes per day.

Examination by the Authority

37. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

38. Rule 23 of the Rules provide that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that the domestic industry has not suffered injury during the current period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.

39. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

40. As regards the argument that Domestic industry has capacity of only 80 MT/day, the Authority notes that the capacity with the domestic industry is 150 MT/day. Moreover, imposition of anti dumping duty does not restrict imports. It only provides for a level playing field and checks unfair trade.

41. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

> *"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."*

42. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

Assessment of Demand

43. For the purpose of determining the demand, the Authority has considered sales of the Indian producers and imports from various sources. The demand of the product in India has been computed as the sum of domestic sales of the Indian producers and known imports from various countries. The demand so assessed is shown in the following table:

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Sales of Domestic Industry	MT	34,844	45,057	46,637	48,366
Sales of Other Indian Producer	MT	1,146	625	780	721
Subject country-Imports	MT	8,778	4,545	5,844	2,960
Countries attracting ADD-Imports	MT	24,740	19,018	18,891	16,267
Other Countries-Imports	MT	1,851	3,071	5,507	8,133
Total demand/consumption	MT	71,359	72,316	77,659	76,447

44. It is noted that the apparent consumption of the subject goods has increased over the injury period.

Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

45. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI & S. The volume of imports of the subject good from the subject country has been analyzed as under:

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Subject country-Imports	MT	8,778	4,545	5,844	2,960
Other Countries	MT	26,591	22,090	24,398	24,400
Total Imports	MT	35,369	26,635	30,242	27,360
Market share in Imports:-					
Subject country-Imports	%	24.82	17.06	19.32	10.82
Other Countries	%	75.18	82.94	80.68	89.18
Market share in demand:-					
Subject Country	%	12.30	6.28	7.52	3.87
Countries attracting ADD	%	34.67	26.30	24.33	21.28
Other Countries	%	2.59	4.25	7.09	10.64
Domestic Industry	%	48.83	62.31	60.05	63.27
Other Indian Producer	%	1.61	0.86	1.00	0.94
Imports from subject country in relation to production	%	24.45	9.91	12.62	5.95
Imports from subject country in relation to consumption	%	12.30	6.28	7.52	3.87

46. It is seen that the imports from the subject country have declined over the injury period. The share of the subject imports in total imports as well as in relation to the demand has declined. Imports have also declined in relation to production and consumption of the product in the country.

Price Effect

47. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of

the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Price undercutting and price underselling

48. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. The following table shows the net selling price of the domestic industry, landed price of the dumped imports and the price undercutting.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Korea RP					
Landed price of imports without ADD (packed)	Rs/MT	***	***	***	***
Net Sales Realisation-Packed	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (packed)	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	% Range	30-40	20-30	20-30	20-30
Landed price of imports with ADD (packed)	Rs/MT	***	***	***	***
Net Sales Realisation-Packed	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (packed)	Rs/MT	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	% Range	10-20	0-10	0-10	0-10

49. The Authority notes that the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry. Further, the price undercutting is quite significant. Thus cessation of anti-dumping duty is likely to undercut the prices of the domestic industry to a significant extent.

Price underselling

50. The Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules. The imports of Phosphoric Acid can be made in packed and loose form. The domestic industry has argued in the application that imports are being reported in packed form only. The imports data shows that import consignments of Phosphoric Acid (Food and Technical Grade) from Korea RP range from 20 kg. to 215.6 MT. Since it may not be commercially viable to import such small quantity of Phosphoric Acid in loose form in ship loads, the Authority notes that imports of the Phosphoric Acid of Food and Technical Grade during POI can be made in packed form only.

51. The analysis shows that the landed value of subject imports was below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry as can be seen from the table below.

Particulars	Unit	Without ADD	With ADD
Non Injurious Price (packed)	Rs./MT	***	***
Landed Price (packed)	Rs./MT	***	***
Price underselling	Rs./MT	***	***
Price underselling %	%	***	***
Price underselling %	Range	15-25	(-5)-(-10)

52. It is noted that during the investigation period, the landed price of the subject goods from the subject country is far below the cost of production and non injurious price determined for the domestic industry, resulting in price underselling.

Price Suppression and Depression

53. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of selling price of the domestic industry has been compared with the cost of production. The data given below shows that both cost of production and selling price have increased over the injury period and the increase in selling price is

significant. Thus, it is noted that there is no price suppression/ depression in the domestic market with anti dumping duty being in force. However, it is noted that the landed price of imports has remained significantly below the level of not only the selling price but also the cost of sales. Thus it is noted that while imposition of anti dumping duty has led to reduction on dumped and injuriously priced imports, cessation of anti dumping duty is likely to lead to depressing effect on the prices of the domestic industry in the market, causing injury to the domestic industry.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Landed price of imports-without ADD in packed form	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	133	154	161
Landed price of imports-with ADD in packed form	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	126	145	154
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	117	127
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	135	143

Economic Parameters affecting Domestic Industry

54. As per Annexure II to the AD Rules, the Authority is required to examine the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, which includes an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry have been analyzed as follows.

Sales, Capacity, Production, and Capacity Utilization

55. The performance of the domestic industry in respect of sales, capacity, production, and capacity utilization has been as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Capacity	MT	50,730	50,730	50,730	50,730
Production	MT	34,741	45,252	45,486	49,073
Capacity Utilization	%	68.48	89.20	89.66	96.73
Sales volume:					
-Domestic	MT	34,844	45,057	46,637	48,366
-Exports	MT	71	36	165	105
-Total Sales	MT	34,915	45,092	46,802	48,471

56. It is seen that the production, sales and capacity utilization of the domestic industry has increased over the investigation period as a consequence of imposition of anti dumping duty on dumped imports. The petitioners have submitted with relevant evidence that they intended to expand capacity by 1 lac MT in view of the demand.

Market share in Demand

57. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been as below:

Market Share in Demand	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Sales of Domestic Industry	%	48.83	62.31	60.05	63.27
Sales of Other Producer	%	1.61	0.86	1.00	0.94

Subject Country – Imports	%	12.30	6.28	7.52	3.87
Countries attracting ADD	%	34.67	26.30	24.33	21.28
Other Countries - Imports	%	2.59	4.25	7.09	10.64
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

58. It is seen that the market share of the domestic industry in demand has increased whereas the market share of imports has declined.

Profits, return on investment and cash flow

59. The cost of sales, selling price and profit/loss of the domestic industry have been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	107	117	127
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	119	135	143
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	744	1,063	1,022
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	962	1,423	1,418
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	763	1,100	1,372
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	289	389	375
ROI	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	731	979	946

60. It is seen that:

a. Cost of sales has consistently increased over the injury period.

b. Selling price of the domestic industry has also increased sharply over the injury period.

c. Profitability of the domestic industry has also increased significantly over the injury period with slight decline in the POI as compared to previous year.

d. Cash profits and return on investment have shown marked improvement over the injury period.

Inventories

61. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Opening stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	100	79	66

62. It is seen that inventories with the Domestic Industry have declined over the injury period.

Employment and wages

63. The position with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Number of employees	No.	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	98	94	93
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	100	115	114	159

64. It has been contended by the domestic industry that considering the fact that the domestic industry comprises multi product companies, these parameters may not show the potential adverse effect of dumping. It is noted that the number of employees has remained in the similar range. Wages paid have, however, increased significantly in the POI.

Productivity

65. Data relating to productivity shows as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Productivity per day	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	130	131	141
Productivity per Employee	No.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	133	139	152

66. It is noted that productivity of the domestic industry has increased over the injury period following the movement of production of the domestic industry.

Factors affecting prices

67. Consideration of the subject import prices and import prices from other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market would show that the landed value of subject imported material is significantly below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. The benchmark for the Indian producers' prices are the import prices into India. Imports from other countries are attracting anti dumping duty. There is no viable substitute to this product. Demand for the product was showing significant increase and could not have been a factor responsible for causing injury to the domestic industry. It is thus evident that the only factor responsible for the domestic industry prices are the import prices of the product from countries dumping the goods and the cost of production of the domestic industry. As the information shows, landed price of imports are below the cost of production, selling price and non injurious price of the domestic industry and, therefore, imports are likely to influence the prices of the domestic industry in the market.

Magnitude of Dumping

68. Dumping margin determined for the subject country is above de minimis and significant.

Conclusion on Injury

69. In view of the above, it is proposed to conclude that performance of the domestic industry has improved in terms of various economic parameters. Performance of the domestic industry has shown positive developments in respect of various economic parameters such as production, sales, capacity utilization, profits, return on investments and cash flow in the discipline of the anti dumping duty. It is, therefore, concluded that anti dumping duty has prevented decline of the domestic industry from dumped imports and has resulted in improvement in the performance of the domestic industry. Though the volume of dumped imports has declined, the imports are entering the domestic market at significantly dumped price. The dumping margin and injury margin determined are significantly positive. Further, the landed price of imports is below not only the cost of production but also the selling price and non injurious price of the domestic industry in the POI. In such a scenario, cessation of the anti dumping duty is likely to adversely affect the prices of the domestic industry and is likely to result in significant price depression. Should the domestic industry be forced to reduce its prices to the level of landed price of imports, it shall be forced to sell the product at prices significantly below the non injurious price of the domestic industry.

Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

Views of the domestic industry

70. Domestic industry has made following submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

a. Dumping Margin determined in previous investigations and present petition are significant and clearly shows likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti dumping duty.

b. The subject foreign producers are holding huge production capacities. The known capacity amounts to around 1,05,600 MT which is more than demand/consumption of subject good in India. In case of cessation of the present duty, dumping from subject country is likely to increase and cause injury to the Domestic Industry.

c. The fact that the exports were at dumping prices despite existing anti-dumping duty, it is likely that in case of cessation of the present duty, exports from the subject country at dumped prices would increase and cause injury to the Domestic Industry.

d. The foreign producers are intensely focused on the exports. In the event of cessation of duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.

e. Price undercutting without anti-dumping duty is very high. It is only due to the effect of anti-dumping duties in place that Domestic Industry is not suffering injury. Thus, it is apparent that if anti-dumping duties currently in place are allowed to expire, the imports would cause severe price undercutting which would cause material injury to the Domestic Industry.

f. Decline in imports post imposition of duty and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti dumping duty.

g. The petitioners refer to the US policy on conducting sunset review investigations and submit that the parameters applied by the US, when applied to the present case would establish the need for extension of anti dumping duty.

h. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports from the subject country in the market is definitely causing an adverse impact on the domestic industry. This is further established by the long term dumping practice by the subject exporters and other sources dumping the product.

i. In the event of cessation of current anti-dumping duty, the domestic industry will have to either reduce the selling price by the amount of ADD or the domestic industry would lose sales volumes. In either case, domestic industry will suffer material injury.

j. In the event of cessation of current anti-dumping duty and if Domestic Industry is constrained to sell at the import prices, the Domestic Industry would suffer losses. The return on investment and cash profit would also be negative. Therefore, cessation of anti-dumping duty would have significant adverse effect on the prices in the market.

k. In the event of cessation of current anti-dumping duty, should the Domestic Industry choose to maintain its price at the same level, the import volume will increase, given significant price difference between the domestic and import prices. This is likely to cause significant deterioration in sales, production and capacity utilization of the domestic industry.

l. Though the share of exports from Korea RP has declined in the proposed POI, India has remained one of the major export destinations for exporters of subject goods in the subject country.

m. The subject exporters are selectively dumping in India and find India a lucrative market. In the event of revocation of duty, the imports from Korea RP will intensify as the exporters with surplus capacity will aim to maximize the utilization of the capacities.

n. Korea RP is a major exporter of the product concerned and is exporting the product to many countries. The Korean producers hold significant exporting capacities of the product under consideration. The petitioners have analyzed volume and value of exports from Korea RP to various countries globally. This information is verifiable from Korean Customs as well. It would be seen that majority exports made by Korea RP globally are at dumped and injurious price.

o. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the normal value. Therefore, in case of expiry of duty, exporters from the subject country are likely to continue dumping practices.

Views of the Importers, Consumers, Exporters and Other Interested Parties

71. None of the interested party has made any submission on likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

Examination by the Authority

72. The Authority has examined the contention of the domestic industry and also examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury as follows:

i. Price undercutting, suppression, depression in the absence of measures

73. The Authority examined the effect of cessation of anti dumping duty in terms of price undercutting, suppression and depression effect on the prices of the domestic industry in the market and its consequent impact on the domestic industry for the POI, i.e., 2013-14. It is seen that the landed price of imports is materially below the cost of production and selling price.

74. It is thus evident that should the present duty be allowed to cease and should the domestic industry sell the product at prices matching the import prices from Korea RP, the domestic industry would suffer financial losses, negative cash flows and negative return on investment.

ii. Significant dumped and injurious exports from the subject country

75. The Authority has no information available to the extent that any other country has initiated anti dumping investigation or imposed ADD against Korea for the subject goods. The domestic industry in its submissions before the Authority claimed that the subject goods are being exported by the exporters from the subject country at a price which is a dumped price. In this regard, the information relating to subject exports to various countries globally were examined by the Authority on country by country basis for the POI. Export data for subject country has been considered as per the Korea custom data. Considering these prices as FOB export prices, dumping margin and injury margin were determined for these transactions, after due adjustments (from FOB to ex factory in respect of dumping margin and from FOB to landed price in respect of injury margin).

Period 2013-14

	Dumped	Non Dumped	Total
Volume in MT	9,218	621	9,839
%	93.69	6.31	100.00
Net Export Price in US$/MT	792	2,871	986

	Injurious	Non Injurious	Total
Volume in MT	7,554	2,286	9,840
%	76.77	23.23	100.00
Landed Price in US$/MT	916	1,644	1,085
Landed Value in India US$/MT	827		
NIP in US$/MT	989		

76. It is seen from the above Table that total volume of exports from the subject country to various countries globally during the POI was significant. Further, significant exports were made at dumped and injurious price from Korea RP. It is thus seen that a significant proportion of subject country's exports made to third countries were at dumped prices, and at a price where domestic industry would suffer injury, if these exports are diverted to Indian market. Further, considering demand in India, this volume of exports at dumping and injurious prices is quite significant.

iii. Surplus capacities with the foreign producers who are export oriented

77. As per the records, the capacity with the producers in Korea RP amounts to around 1,05,600 MT which is significantly beyond demand in the Korean local market. Evidence provided by the domestic industry shows capacities with various exporters as follows:

Sl. No.	NAME	CAPACITY/PRODUCTION
Korea RP		
8.	Daeyang International Co.	500 Metric Ton/Tons per Month
9.	Soheungchem Co Ltd	1000 Metric Ton/Metric Tons per Month
10.	Metachem Corp	1,500 Metric Ton/Metric Tons per Month
11.	ST Chemical	300 Metric Ton/Metric Tons per Month
12.	Semyoung Tech Co Ltd	3,000 Metric Ton/Metric Tons per Month
13.	OCI Corporation	2,500 Metric Ton/Metric Tons per Month
14.	Canko Marketing Inc	1700 Metric Ton/Tons per month

78. The following table shows percentage of exports by the exporters in the subject country as provided by the domestic industry.

Sl. No.	NAME	CAPACITY/PRODUCTION
Korea RP		
9.	Daeyang International Co	41% - 50%
10.	Soheungchem Co Ltd	41% - 50%
11.	Metachem Corp	31% - 40%
12.	JKI International	51% - 60%
13.	Semyoung Tech Co Ltd	61% - 70%
14.	Namduck Moolsan Co Ltd	41% - 50%
15.	Canko Marketing Inc	91% - 100%
16.	BR Corporation	71% - 80%

79. In view of the above, it is noted that there exists significant capacity with the exporters from the subject country and the exporters are highly export oriented. Further, with the growing market in India which is quite price sensitive, it is likely that cessation of anti dumping leads to intensified imports at dumped and injurious price causing recurrence of injury to the domestic industry.

iv. Price attractiveness of Indian market

80. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, the exporters from the subject country would further channelize their output in the Indian market in view of the significant capacity with it. Further, despite India having imposed anti-dumping duties on subject imports, the price at which subject goods are being exported to India is much lower than average export price to other countries. Exports to India are being made at prices significantly lower than price for third countries.

81. Thus the subject country is dumping goods in India with higher intensity as compared to other countries. This clearly establishes likelihood of recurrence of injury to the domestic industry.

Causal Link

82. Under Section 9A (5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. Accordingly, the Authority has concluded that the dumped imports are likely to intensify and cause injury if antidumping duty were to be revoked. Notwithstanding, the Authority has examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

(a) Volume and value of imports not sold at dumped prices: - Imports from other countries are either attracting anti dumping duties or are at higher prices.

(b) Contraction in demand: - The Authority notes that the demand of the product under consideration has shown a positive growth in the injury period with slight decline in the POI in comparison to the year 2012-13. Hence, contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.

(c) Changes in the patterns of consumption:- The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:- There is no trade restrictive practice which can contribute to the injury to the domestic industry.

(e) Developments in technology: - It is noted that the technology for production of the product has neither undergone any material change nor is likely to change in future. Developments in technology, therefore, do not appear to be a possible factor of injury. The domestic industry is producing the product under consideration for the past several years. The technology adopted by domestic industry is comparable to the technology adopted by other players world-over.

(f) Performance of other products produced and sold by the domestic industry: - The domestic industry comprises multi-product companies. However, injury analysis has been made with respect to the product under consideration only.

(g) Productivity:- It is noted that productivity of the domestic industry has shown a growth. Possible decline in productivity does not appear to be a cause of injury to the domestic industry.

Magnitude of Injury and Injury margin:

83. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI. Thus compared, the proposed injury margin is worked out as under:

Country/exporter	Unit	Korea RP		Unit	Korea RP
Non Injurious Price (packed)	Rs./MT	***	***	***	***
Landed Price (packed)	Rs./MT	***	***	***	***
Injury Margin (packed)	Rs./MT	***	***	***	***
Injury Margin %	%	***	***	***	***
Injury Margin % Range	Range	15-25		Range	15-25

84. It is seen that the injury margin is significant.

G. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST:

85. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

86. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

H. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES

H.1 Post Disclosure Statement submissions by the opposing Interested Parties

87. None of the exporters/importers/users and other opposing interested parties has made any post Disclosure Statement submissions.

H.2 Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

88. Following are in brief the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

(i) The product under consideration continues to be exported from subject country at prices below normal value, resulting in continued dumping.

(ii) The performance of the domestic industry has improved in view of existing anti dumping duty.

(iii) Imports are at prices not only below selling price but also cost of production of the domestic industry.

(iv) There is clear likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of present anti-dumping duties from subject country.

(v) M/s Punjab Chemicals and Crop Protection Limited is producing food grade, thus, food grade is being produced and sold in the domestic market and, therefore, cannot be excluded from the scope of the product under consideration. In any case, there is no known import of food grade phosphoric acid from Korea and therefore question of exclusion in any case does not arise.

(vi) The price undercutting without prevailing anti dumping duties is positive.

(vii) The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would, therefore, switch to imported product in the event of cessation of anti dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.

(viii) Determination of NIP is inappropriate and is leading to unduly low protection to the domestic industry. Given the high age of the plant, higher rate of return for the domestic industry needs to be considered.

(ix) Anti dumping duty should be imposed only as fixed quantum in US dollars.

(x) Since the dumping and injury to the domestic industry is based on the likelihood of dumping and injury to the domestic industry, any modification to the quantum of duty would not be appropriate. Therefore, petitioner submits that the quantum of duty is not required to be modified and the existing duties should only be extended.

H.3 Examination by the Authority

89. The Authority has reached to the conclusion that the above arguments of the domestic industry are repetitive and have already been dealt with by the Authority in the Disclosure Statement earlier and have also been dealt with again in the Final Findings Notification under appropriate headings and also as under:

i. As regards continued dumping, the investigation has shown that the product has been exported from Korea RP at prices below normal value, thus, resulting in continued dumping of the product.

ii. As regards improvement in performance of the domestic industry, the Authority notes that the performance of the domestic industry has improved over the current injury period. However, being a sunset review investigation, the Authority is required to examine both continuation and likelihood of dumping and injury to the domestic industry. The investigation has shown that the injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti dumping duty. The landed price of imports is below the selling price, cost of production and non injurious price of the domestic industry. Thus, injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti dumping duty.

iii. As regards price undercutting, the Authority notes that the investigation has shown that the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry. Thus, the imports are likely to undercut the prices of the domestic industry in the market in the absence of anti dumping duty.

iv. As regards inappropriate quantum of non injurious price and low quantum of protection to the domestic industry, the Authority has calculated the NIP as per the guidelines laid down in Annexure-III.

v. As regards form of measure and unit of currency, the Authority has noted the argument of the domestic industry and its practice and accordingly recommended the anti dumping duty in this Finding.

vi. As regards the request for extension of same quantum of anti dumping duty, it is noted that there were significant imports in the present POI and, therefore, the dumping margin and injury margin determined are representative and appropriate to determine quantum of anti dumping duty. The Authority, therefore, considers it appropriate to modify the level of duty in this Finding.

vii. The Authority notes that the duties are in force on imports of the subject goods originating in, or exported from Taiwan and Israel vide Notification No. 19/2012-Customs (ADD) dated 4.4.2012. Further, duties are also in force on imports Phosphoric Acid-Technical Grade and Food Grade originating in or exported from China PR vide Notification No. 33/2013-(ADD) dated 31.12.2013.

I. CONCLUSION

90. The Authority notes that none of exporters from the subject country participated in the investigation, i.e., they neither submitted post initiation responses nor participated in the Oral Hearing or made any post Disclosure Statement submissions. However, only Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai, an importer, filed its legal submissions after the initiation. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the domestic industry and M/s Sandeep Organics Pvt Ltd, Mumbai, the facts available before the Authority and on the basis of above analysis

including analysis of likelihood of continuation of dumping and injury and post Disclosure Statement submissions made by the Domestic Industry, the Authority concludes that:

(i) Product under consideration continues to be exported by producers and exporters from the subject country to India below its normal value resulting in dumping and causing injury to the domestic industry.

(ii) Both dumping margin and injury margin are significant and positive in respect of producers and exporters from the subject countries, implying likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry.

(iii) The anti dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country to India is required to be extended/modified further for a period of five years after analysis of the latest data.

J. RECOMMENDATIONS

91. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be recommended to offset dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and its consequential injury to the domestic industry.

92. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, anti dumping duty equal to the amount indicated in the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, by the Central Government.

DUTY TABLE

Sl. No	Sub-heading	Description of goods	Country of Origin*	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	28092010	Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)	Korea RP	Korea RP	Any	Any	162.52	MT	US$
2	28092010	Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)	Korea RP	Any Other	Any	Any	162.52	MT	US$
3	28092010	Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)	Any Other	Korea RP	Any	Any	162.52	MT	US$

**Note: Where there is overlapping of antidumping duty on the subject goods with respect to a subject country in different customs notifications, the duty applicable to that subject country shall be the one imposed under the customs notification in which the said country has been specifically mentioned under the Column "Country of Origin"*

93. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

94. An appeal against the order of the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.